राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )पराविं/प्रशा.2/पंचा–प्र.अ./स्था.पद.संशोधन/2015/1748 जयपुर,दिनांक: 19.4.18

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 4656 दिनांक 11.12.2017 का श्री मनोज कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति जायल (नागौर) से पंचायत समिति बापिनी (जोधपुर) किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री मनोज कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 158/2018 दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2018 को स्थगन देते हुए व्यवस्था की गई कि "यदि सक्षम अधिकारी यह आदेश जारी कर देता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश से स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा तो उक्त आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।"

अतः श्री मनोज कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी को उक्त आदेश क्रमांक 4656 दिनांक 11.12.2017 द्वारा पंचायत समिति जायल (नागौर) से पंचायत समिति बापिनी (जोधपुर) में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन पर नियमानुसार यात्रा भत्ता दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. अति. मुख्य कायकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर / जोधपुर ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जायल (नागौर) / बापिनी (जोधपुर) को प्रेषित कर लेख है कि राज्योदशो की पालना में श्री मनोज कुमार को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. श्री मनोज कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. जायल (नागौर) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्यादेशो की पालना मं तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा इसे राज्योदशो की अवहेलना माना जावेगा।
6. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

D:\SSR\Ext.Officers\2016\Transfer Sep,2016\Order Transfer Sep 2016.doc